राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1256

26 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनियों का पुनरुद्धार किया जाना

1256 डा. वी. मैत्रेयनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) तथा तमिलनाडु में सेलम इस्पात संयंत्र सहित उसकी सहायक कम्पनियों का पुनरुद्धार हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपीपी) दोनों को कितना-कितना वर्ष-वार घाटा हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए समुचित उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सभी पाँच प्रमुख संयंत्रों अर्थात् भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) और सेलम (तमिलनाडु) के विशेष संयंत्रों में आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम चलाए हैं। क्रूड इस्पात का 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 21.4 एमटीपीए तक क्षमता विस्तार के अलावा विस्तार योजना से सेल संयंत्रों की प्रौद्योगिकी उन्नयन और ऊर्जा बचत की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जिससे उनकी प्रचालन क्षमता में सुधार होगा। तथापि, सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), तमिलनाडु के मामले में 1902 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद यह घाटे में चल रही है।

(ख) : गत तीन वर्षों के लिए सेल और सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) का वित्तीय निष्पादन निम्नवत् हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**सेल** का कर पूर्व (पीबीटी) लाभ(+)/हानि(-)	**एसएसपी** का कर पूर्व (पीबीटी) लाभ(+)/हानि(-)
2014-15	2359	-355
2015-16	-7008	-462
2016-17	-4851	-235

(ग) और (घ) : सेल अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों का पालन करता है। तथापि, सेल का, अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए केन्द्र स्तर के साथ-साथ संयंत्र स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय फोरम है।

*****